



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2  
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 1] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 1987/पौष 19, 1908  
No. 1] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9 1987/PAUSA 19, 1908

---

इस भाग में शिथिल पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

---

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1987

अधिसूचना

फा. सं. ए-12022/25/86-पी ई-I :--केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास  
अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड  
(क) के साथ पठित धारा 14-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

कांडला पत्तन न्यास में अपने उपाध्यक्ष के कार्य के अतिरिक्त कार्यभार संभालने की तारीख से 31 मार्च, 1987 तक 'अभ्यर्क' नियमित अधिकारी के पद ग्रहण करने तक इनमें से जो भी पहल से तब तक के लिए श्री मोहेब अली, आई आर एस (सी एंड सी ई) उपाध्यक्ष को कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 9th January, 1987

NOTIFICATION

F. No. A-12022|25|86-PE-I.—In exercise of the powers conferred by section 14-A read with clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoint Shri Moheb Ali, IRS (C&CE) Deputy Chairman, Kandla Port Trust to act as Chairman, Kandla Port Trust in addition to his own charge as Deputy Chairman, Kandla Port Trust with effect from the date he takes over the charge of the post and upto 31st March, 1987 or till a regular incumbent joins the post, whichever is earlier.

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.